न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा
पीठासीन अधिकारीः—आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—85/2024 प्रार्थना पत्र
1— मै0 राजेश कुमार टेलर पिता मदनलाल टेलर निवासी चारभुजा का मन्दिर नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।

—— प्रार्थी

बनाम

1— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—
1—अधिवक्ता प्रार्थी श्री श्रवण कुमार सेन
2—विपक्षी की और से — पैरोकार सरकार

:: निर्णय ::

दिनांकः—06.06.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षी संख्या 01 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात सरहद ग्राम सांगवा पटवार हल्का सांगवा भू0अभि0निरीक्षक कारोईकलां तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा के आराजी नम्बर 2404/2403 जो आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तनशुदा है में आने—जाने हेतु रास्ता पी0डब्ल्यू0डी0 की आराजी नम्बर 427 मुख्य सडक से होकर ग्राम सांगवा के आराजी नम्बर 360 विपक्षी की आराजी में होते हुये बिलानाम रास्ता आराजी नम्बर 2402/360 में पहूँचता है। आराजी नम्बर 2402/360 से होकर प्रार्थी अपनी आराजी नम्बर 2404/2403 में पहूँचता हैं उक्त रास्ता सार्वजनिक उपयोग उपभोग के लिये होगा प्रस्तावित रास्तें के अलावा प्रार्थी की अपनी आराजी में आने—जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है एवं निकटतम रास्ता भी आराजी नम्बर 360 में प्रार्थी को अपनी पेट्रोल पम्प की आराजी नम्बर 2404/2403 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 360 को रास्ते के रूप में कायम करने की स्वीकृति प्रदान कराई जावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को नोटिस जारी किये गये विपक्षी संख्या 01 की और पत्र कमांक एफ1216(2)/रीडर/2024/216 दिनांक 07.05.2024 प्रस्तुत करते हुये निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट अंकित की है। जिसमें अंकित किया है कि प्रार्थी की आवेदित आराजी में वैकल्पिक रास्ता नहीं है, प्रस्तावित रास्ता निकटतम है। भूमि खाली है। जिस आराजी में आने—जाने हेतु रास्ता चाहा गया है उसकी किस्म गे0मु0 आवासीय रास्ते हेतु चाही गई आराजी नम्बर 360 बिलानाम किस्म बंजड है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी नम्बर 360 में से 0.0126 हैक्टयर भूमि

प्रस्तावित की गई है। डी0एल0सी0 अनुसार 0.0126 वर्गमीटर भूमि की दुगुनी राशि 23,270 /– बनती है। तहसीलदार भीलवाडा ने अपने प्रतिवेदन में मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी की नकल, डी0एल0सी0 की दर, आवेदित आराजी नम्बर 2404/2403 क्षेत्रफल 0.1734 हैक्टयर भूमि के विक्रय पत्र की फोटोप्रति संलग्न की है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में एक शपथ पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया है कि ग्राम सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी नं. 2404/2403 रकबा 0.1734 हैक्टेयर सम्परिवर्तनशुदा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया तभी से उक्त भूमि का मैं मालिक होकर उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग व काश्त करता आ रहा हूँ व उक्त भूमि को अकृर्षि उपयोग आवासीय प्रयोजन से उपयोग उपभोग नही किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त भूमि पडत पडी हुई है। यानि कृषि उपयोग उपभोग की है। इस भूमि में आने जाने हेतु पूर्व में आराजी नं. 2402/360 रकबा 0.1068 हैक्टेयर भूमि समर्पण की गयी है जिसका राजस्व रेकार्ड में अंकन हो चुका है। मुझ शपथकर्ता की कृर्षि भूमि आराजी नं. 2404/2403 में आने जाने हेतु मुख्य सडक स्टेट हाईवे 133 और मेरी भूमि के बीच में बिलानाम आराजी नं. 360 में रकबा 0.0126 हैक्टेयर भूमि रास्ता हेतु मेरी आराजी नं. 2404/2403 भूमि कृषि उपयोग हेतु मार्गाधिकार हेतु धारा 251 (अ) के तहत रास्ता प्रयोजनार्थ स्वीकृति करावें। आराजी नम्बर 3404/2403 का कृषि उपयोग ही करूंगा, रास्ते हेतु आराजी नम्बर 360 में क्षैत्रफल 0.0126 हैक्टयर भूमि की जो भी डी0एल0सी0 बनेगी उसकी राशि राजकीय कोष में जमा कराने हेतु सहमत हूँ।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी नं. 2404/2403 रकबा 0.1734 हैक्टेयर सम्परिवर्तनशुदा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कय कर आधिपत्य प्राप्त किया तभी से उक्त भूमि का मै मालिक होकर उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग व काश्त करता आ रहा हूँ व उक्त भूमि को अकृर्षि उपयोग आवासीय प्रयोजन से उपयोग उपभोग नही किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त भूमि पडत पडी हुई है। यानि कृषि उपयोग उपभोग की है। इस भूमि में आने जाने हेतु पूर्व में आराजी नं. 2402/360 रकबा 0.1068 हैक्टेयर भूमि समर्पण की गयी है जिसका राजस्व रेकार्ड में अंकन हो चुका है। मुझ शपथकर्ता की कृर्षि भूमि आराजी नं. 2404/2403 में आने जाने हेतु मुख्य सडक स्टेट हाईवे 133 और मेरी भूमि के बीच में बिलानाम आराजी नं. 360 में रकबा 0.0126 हैक्टेयर भूमि रास्ता हेतु मेरी आराजी नं. 2404/2403 भूमि कृषि उपयोग हेतु मार्गाधिकार हेतु धारा 251 (अ) के तहत रास्ता प्रयोजनार्थ स्वीकृति करावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी संख्या 01 के जवाबदावा का अध्ययन किया। प्रार्थी अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या 01 पेरोकार सरकार की बहस पर मनन् किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का भली भांति परीक्षण किया। प्रार्थी ने अपनी राजस्व ग्राम सांगवा की आराजी नम्बर 2404/2403 क्षैत्रफल 0.1734 हैक्टयर किस्म आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि जो वर्तमान में

खातेदार नारायण पुत्र डालु बलाई के नाम दर्ज है उक्त भूमि को प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.01.2024 से क्रय की है जिस आराजी के आगे आराजी नम्बर 2402/360 क्षेत्रफल 0.1068 हैक्टयर भूमि गे0मु0 रास्ता राजस्थान सरकार के खातें में दर्ज रेकार्ड है। इसके आगे यानि सामने आराजी नम्बर 360 बिलानाम क्षैत्रफल 2.8072 हैक्टयर किस्म बजंड राजस्थान सरकार के खातें में दर्ज रेकार्ड है जो आराजी नम्बर 427 पी0डब्ल्यू0डी0 की बागोर जाने वाली सडक से लगी हुई है। आराजी नम्बर 360 में से 0.0126 हैक्टयर भूमि रास्ते हेतु प्रार्थी की आराजी नम्बर 2404/2403 में आने-जाने हेतु प्रस्तावित की गई है। प्रार्थी की आराजी नम्बर 2404/2403 क्षेत्रफल 0.1734 हैक्टयर भूमि जो रेकार्ड में आवासीय सम्परिवर्तनशुदा है। लेकिन प्रार्थी के शपथ पत्र अनुसार उक्त भूमि का आवासीय अकृषि उपयोग नहीं किया जाकर कृषि उपयोग किया जा रहा है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251ए के तहत प्रस्तावित आराजी नम्बर 360 बिलानाम किस्म बंजड में से 0.0126 हैक्टयर भूमि कृषि कार्य हेतु डी0एल0सी0 दर की दुगुनी राशि भूमि का प्रतिकर प्रार्थी द्वारा जमा कराने पर रास्ते हेतु कृषि प्रयोजनार्थ स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतःएव्

-:: आदेश ::-

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि मौजा सांगवा पटवार हल्का सांगवा तहसील भीलवाडा की आराजी नम्बर 2404/2403 क्षैत्रफल 0.1734 हैक्टयर भूमि में कृषि प्रयोजनार्थ आने-जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 360 बिलानाम किस्म बंजड में से 0.0126 हैक्टयर भूमि रास्तें हेतु डी0एल0सी0 दर की दुगुनी राशि 23,270 /- रूपये है जो कि आराजी संख्या 360 अप्रार्थी संख्या 01 को देय है को जरिये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशि अदायगी हेतु तीस योम की अवधि का नोटिस जारी करे उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधि के भीतर भीतर विपक्षी उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व अभिलेख व हॉल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करे। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो। नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र में अंकित शर्तो का उल्लघंन पाये जाने पर उक्त आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 06..06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा